Dates	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मै. सिटी प्रमोटर्स एण्ड बिल्डवेल प्रा.लि. बनाम मै. इंजीनियर इन–चीफ व अन्य** **आपत्ति प्रार्थना–पत्र संख्या : 49/2024** **सी.आई.एस. संख्या : 137/2023**	
27-03-2025	उभय पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम व धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्रों पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई, पत्रावली आज उपरोक्त प्रार्थना–पत्रों के आदेश हेतु नियत है। उक्त प्रार्थना–पत्रों का निर्धारण किए जाने से पूर्व यहां यह उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि पूर्व पेशी दिनांक 19.03.2025 की आदेशिका पर न्यायालय के रीडर द्वारा यह तथ्य उल्लेखित किए गए हैं कि **"उभय पक्षकारा अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा धारा 5 पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश धारा 5 हेतु एवं बहस हेतु समय 10:30 ए.एम. पर 27.03.2025 को पेश हो।"** परन्तु यहां यह उल्लेखित किया जाना भी उचित होगा कि उक्त दिनांक को विपक्षी/अनापत्तिकर्ता अधिवक्ता द्वारा धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस की इच्छा जाहिर की थी, इसलिए उभय पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा धारा 151 सी.पी.सी. व धारा 5 दोनों प्रार्थना–पत्रों पर बहस की गई थी तथा पत्रावली उक्त दोनों प्रार्थना–पत्रों के निर्णय हेतु नियत की गई थी। प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक उपर्युक्त मामले में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करना चाहता है। आपत्तिकर्ता का कहना है कि अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत प्रदान की गई छूट अवधि के भीतर दायर मध्यस्थता आवेदन को दाखिल करने के पीछे के कारण सहित कुछ तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त हलफनामा आवश्यक है। अतिरिक्त हलफनामे में महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्पष्टीकरण, कानूनी तर्क और खंडन शामिल होंगे जो माननीय न्यायालय को मामले पर एक न्यायसंगत और निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचने में सहायता करेंगे। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अतिरिक्त हलफनामा रिकॉर्ड पर लेने की कृपा करें। उक्त प्रार्थना–पत्र का विपक्षी/अनापत्तिकर्ता की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया जाकर सीधे बहस की इच्छा जाहिर की। **बहस** बहस उभय पक्षकारान सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस में प्रार्थी/आपत्तिकर्ता ने तो वे ही तर्क दिए, जो प्रार्थना–पत्र में अंकित है, जबकि विपक्षी/अनापत्तिकर्ता का तर्क रहा कि प्रार्थी/आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबंध में कोई तथ्य उल्लेखित नहीं किए है तथा इन्हीं तथ्यों को उल्लेखित करने हेतु प्रार्थी/आपत्तिकर्ता द्वारा उक्त अतिरिक्त हलफनामा प्रस्तुत किया गया है, परन्तु प्रार्थी/आपत्तिकर्ता इस	

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/RJJT1A0014922023/truecopy/order-2.pdf

स्तर पर उक्त हलफनामा प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

निष्कर्ष

प्रार्थना–पत्र के माध्यम से प्रार्थी की मुख्य प्रार्थना अतिरिक्त हलफनामा को रिकॉर्ड लिए जाने बाबत् है।

इस संबंध में न्यायालय का यह मत है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी यही कथित करता है कि सभी पक्षों को अपना मामला साबित करने हेतु पर्याप्त/समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। प्रकिया संबंधी नियम पक्षकारान के मध्य वास्तविक न्याय किए जाने हेतु निर्मित किए जाते हैं न कि तकनीकी आधार पर किसी पक्ष को न्याय से वंचित करने हेतु। चूंकि रिकॉर्ड पर लिए जाने हेतु दस्तावेज एक आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसे रिकॉर्ड पर नहीं लिए जाने प्रार्थी/आपत्तिकर्ता को अपूर्तनीय क्षति होगी, जबकि इसे रिकॉर्ड पर लिए जाने से विपक्षी/अनापत्तिकर्ता को कोई प्रिज्युडिस कारित नहीं होगी, अतः प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. 2,000/– रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत अतिरिक्त हलफनामा (Additional Affidavit) को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। प्रार्थी/आपत्तिकर्ता उपरोक्त कोस्ट की राशि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने स्टैंडिंग आदेश दिनांक 28.03.2023 से गठित लिटिगेट वेलफेयर फंड के खाता संख्या 41673952674 एस.बी.आई. झालामंड ब्रांच जोधपुर में जमा करवाने हेतु रजिस्ट्रार जनरल एल.डब्ल्यू.एफ.ए. के पक्ष में डी.डी. बनवाकर, डी.डी. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

द्वितीय प्रार्थना–पत्र

प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत द्वितीय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 **(जिसे आगे इस आदेश में अधिनियम, 1996 के रूप में उल्लेखित किया जाएगा)** के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है माध्यस्थ अवार्ड माननीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा अभिलेख पर दलीलों और साक्ष्य का उचित मूल्यांकन किए बिना पारित किया गया है, इसलिए आरोपित पुरस्कार कानून की नजर में अस्थिर है और आवेदक के पक्ष में रद्द किए जाने योग्य है। उपर्युक्त आवेदन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34(2) के तहत 21.04.2023 को दायर किया गया है, अर्थात पारित अवार्ड के 3 महीने बाद लेकिन धारा 34(3) के प्रावधान में उल्लिखित अवधि के 30 दिनों से पहले। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा 24.12.2022 को निर्णय पर हस्ताक्षर किए गए थे और वर्तमान आवेदक को निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति 24.12.2022 को प्राप्त हुई

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/RJJT1A0014922023/truecopy/order-2.pdf

	थी। इस प्रकार तीन महीने की अवधि और तीस दिनों की अनुग्रह अवधि 22.04.2023 को समाप्त हो गई होगी, जबकि आपत्तियाँ 21.04.2023 को दायर की गई थीं, अर्थात मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 की उप–धारा 3 के तहत उपलब्ध तीस दिनों की अनुग्रह अवधि की समाप्ति से पहले। इस प्रकार आवेदक ने आपत्ति प्रार्थना–पत्र के पैरा 18 में सही उल्लेख किया है कि आपत्तियां परिसीमा अवधि के भीतर प्रस्तुत हैं। यह विधि की स्थापित स्थिति है कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 की उपधारा 3 के प्रावधान को लागू करते हुए आवेदन दाखिल न करना, जिसे परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के साथ पढ़ा जाए, विलंब की माफी/30 दिनों तक की छूट अवधि का लाभ मांगना, एक सुधार योग्य दोष माना जाता है और अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आपत्ति आवेदन की स्थिरता के लिए घातक/प्रतिकूल नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मुख्य अभियंता, कर्नाटक राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना, बैंगलोर बनाम श्री गोपालकृष्ण और अन्य के मामले में, एक समान स्थिति से निपटते हुए, जहां आपत्तियां तीन महीने की अवधि से परे लेकिन तीस दिनों की विस्तार योग्य अवधि के भीतर दायर की गई थीं और अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर भरोसा करते हुए माफी की मांग करते हुए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था, ने माना कि इस तरह का आवेदन दाखिल न करना उचित नहीं है। आवेदन एक उपचार योग्य दोष है और घातक नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आवेदक को आवेदन के बिना आपत्ति दाखिल करने और विस्तार/क्षमा के लिए वकील द्वारा दी गई कानूनी सलाह पर विशेष ध्यान दिया, इस धारणा के तहत कि यदि आपत्तियां अधिनियम, 1996 की धारा 34(3) के प्रावधान के तहत 30 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले दायर की जाती हैं, तो ऐसे किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में भी यही स्थिति है। आवेदक को देरी के लिए क्षमा के लिए ऐसा कोई आवेदन दाखिल करने की सलाह नहीं दी गई थी, क्योंकि आपत्तियां दाखिल करने में आवेदक की सहायता करने वाले वकीलों की राय थी कि क्षमा/विस्तार के लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, विपक्षी द्वारा उठाई गई आपत्ति और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा बताए गए तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा दोहराए गए कानून की स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आवेदक अत्यधिक सावधानी के साथ तथा किसी भी अनावश्यक जटिलता से बचने के लिए विलंब की माफी के लिए यह वर्तमान आवेदन दायर कर रहा है। आवेदक के वकील को यह आभास था कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलंब की माफी के लिए आवेदन आपत्ति आवेदन के साथ दायर किया गया है, जिसके लिए एक जांच भी की गई थी तथा यह पाया गया कि विलंब की मांग के लिए आवेदन दायर नहीं किया गया है। आवेदक के वकील को इस	

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/RJJT1A0014922023/truecopy/order-2.pdf

	चूक के बारे में तब पता चला जब विपक्षी को जवाब मिला। वर्तमान आपत्ति आवेदन में देरी ऊपर बताए गए कारण से हुई है और यह जानबूझकर या जानबूझकर नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वर्तमान आपत्ति आवेदन दाखिल करने में हुई देरी को इस माननीय न्यायालय द्वारा माफ किया जाए। विपक्षी/अनापत्तिकर्ता द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर यह तथ्य उल्लेखित किए गए कि प्रार्थी/आपत्तिकर्ता द्वारा अधिनियम, 1996 की धारा 34(2) के तहत प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना–पत्र अनुरक्षणीय नहीं हैं और परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज और अस्वीकृत किए जाने योग्य हैं। यह विधि का स्थापित प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 34(2) के तहत परिकल्पित आपत्तियों को दाखिल करने में हुई देरी के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना/आवेदन की अनुपस्थिति में, आवेदक देरी के लिए माफी का हकदार नहीं है और आपत्ति/आवेदन खारिज किए जाने योग्य है। यह विधि का स्थापित प्रावधान है कि धारा 34 के तहत मध्यस्थ अवार्ड को अलग रखने के लिए आपत्ति प्रस्तुत करने की सीमा अवधि को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। धारा 34 की उपधारा 3 के अतिरिक्त परंतुक में यह प्रावधान है कि यदि न्यायालय को यह विश्वास हो कि आवेदक को 3 माह की उक्त अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह 30 दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, परंतु उसके बाद नहीं। अधिनियम के प्रावधानों के उपर्युक्त अपरिवर्तनशीलता और अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारा 34(3) के प्रावधान के अंतर्गत परिकल्पित 3 माह से अधिक की अवधि को माननीय न्यायालय द्वारा केवल मामले से संबंधित होने पर ही माफ किया जा सकता है, और वह भी केवल उन परिस्थितियों में, जहां आपत्तिकर्ता ने उचित रूप से स्पष्ट किया हो कि ऐसी परिस्थितियां थीं, जिनके कारण वह अधिनियम द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित समय के भीतर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने से वंचित था और आवेदक ऊपर उल्लिखित आपत्तियों को प्रस्तुत करने में हुई देरी को स्पष्ट किए बिना अधिकार के रूप में माफी का दावा नहीं कर सकता। यह आवेदन भी मात्र औपचारिकता है और भले ही आवेदक को आवेदन में देरी के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत करना है, लेकिन फिर से उन परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं करना चुना है जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्ति याचिका/आवेदन दायर करने से रोकती हैं, जैसा कि अधिनियम के तहत 3 महीने की अवधि प्रदान की गई है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किए जाने की कृपा करें।	

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/RJJT1A0014922023/truecopy/order-2.pdf

बहस

बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस में उभय पक्षकारान ने वे ही तर्क दिए, जो प्रार्थना–पत्र और जवाब प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित किए गए हैं।

निष्कर्ष

प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की प्रार्थना–पत्र के माध्यम से मुख्य प्रार्थना आपत्ति प्रार्थना–पत्र को पेश करने में हुए विलम्ब को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में क्षम्य करने की है। इस संदर्भ में प्रकरण के तथ्यात्मक पहलुओं पर प्रथम दृष्टया विचार करें तो स्पष्ट है कि प्रकरण में अवार्ड/पंचाट दिनांक 24.12.2022 को पारित किया गया था, जिसकी प्रति प्रार्थी/आपत्तिकर्ता को दिनांक 24.12.2022 को ही प्राप्त हो गई थी। उक्त अवार्ड/पंचाट के विरूद्ध आपत्ति प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.04.2023 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

धारा 34(3) अधिनियम, 1996 के तहत अवार्ड/पंचाट को चुनौती देने वाला आपत्ति प्रार्थना–पत्र अवार्ड की प्रति प्राप्त होने के तीन माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा परन्तु न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह समाधान होने पर, कि आपत्तिकर्ता पर्याप्त कारणों से तीन माह के भीतर आपत्ति प्रार्थना–पत्र नहीं प्रस्तुत कर सका तो उस स्थिति में आपत्ति प्रार्थना–पत्र पेश करने हेतु तीस दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया जा सकता है, परन्तु उसके पश्चात आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अवार्ड/पंचाट की प्रति संबंधित पक्ष को प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 120 दिवस की अवधि में अवार्ड/पंचाट को चुनौती प्रदान की जा सकती है, इस समयावधि को किसी भी रूप में आगे बढ़ाया जाना अधिनियम, 1996 के तहत अनुमत नहीं है। प्रकरण में स्वयं आपत्तिकर्ता के अनुसार उसे अवार्ड की प्रति दिनांक 24.12.2022 को प्राप्त हो चुकी थी। उक्त तिथि से आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की परिसीमा प्रारम्भ होकर तीन माह की अवधि दिनांक 24.03.2023 को समाप्त होती है और दिनांक 24.03.2023 से तीस दिवस की अतिरिक्त अवधि दिनांक 23.04.2023 को समाप्त होती है, जबकि यह आपत्ति प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.04.2023 को पेश किया गया है, जो धारा 34(3) अधिनियम 1996 के विधिक समादेश के अनुसार परिसीमा अवधि के भीतर ही प्रस्तुत किया गया प्रतीत होता है। प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत अतिरिक्त शपथपत्र में प्रार्थी ने तीन माह में आपत्ति प्रार्थना–पत्र नहीं प्रस्तुत किए जाने का कारण यह बताया है कि **"आवेदक ने शुरू में अपने पूर्व वकील से कानूनी सलाह मांगी थी, जो उसे अधिनियम, 1996 के तहत उपलब्ध राहत के बारे में सलाह देने में विफल रहा। बाद में नए वकील ने आवेदक को अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत उपाय मांगने के उसके अधिकार के बारे में विधिवत सलाह दी, ताकि मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द किया जा सक। इसके उपरांत नए कानूनी सलाहकार को नियुक्त करने और उचित कानूनी सलाह प्राप्त करने के बाद, आवेदक ने तुरंत वर्तमान आपत्तियां दर्ज करने के लिए कदम उठाए और अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत**

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/RJJT1A0014922023/truecopy/order-2.pdf

	प्रदान की गई छूट अवधि के भीतर मध्यस्थता आवेदन दायर किया।'' इस प्रकार प्रार्थी/आपत्तिकर्ता ने प्रथम दृष्टया तीन माह में आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति को पर्याप्त कारणों से स्पष्ट किया है व तीस दिवस की अतिरिक्त अवधि में ही दिनांक 21.4.2023 को यह आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, जो उपर किए गए विवेचन के अनुसार प्रथम दृष्टया परिसीमा अवधि के भीतर ही प्रस्तुत किया गया प्रतीत होता है। पत्रावली वास्ते बहस मूल आपत्ति प्रार्थना–पत्र एवं कॉस्ट अदायगी हेतु दिनांक 05.04.2025 को पेश हो। (अनु अग्रवाल) न्यायाधीश वाणिज्यिक न्यायालय क्रम 3 जयपुर महानगर द्वितीय	

Digitally signed by Anu Aggarwal
Date: 2025.03.27 16:02:00 PDT

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/RJJT1A0014922023/truecopy/order-2.pdf